न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 17/16 **सन् 2016**

आरसीएमएस संख्या 2016/00152

बउनवानीः—

1. छोटू पुत्र रघुनाथ जाति काछी निवासी पांचोलास, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. पुरूषोत्तम उर्फ परसराम पुत्र नारायण नाई निवासी पांचोलास, तह. सवाईमाधोपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1576 निर्णय दिनांक 4.3.2016 वाके ग्राम पांचोलास तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील अपीलान्ट

2. श्री श्रीदास सिंह राजावत वकील रेस्पो.

—: निर्णय :— **दिनांक 25.3.2019**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 1576 निर्णय दिनांक 4.3.2016 वाके ग्राम पांचोलास तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील अपीलान्ट को बिना सुने ही पारित किया गया है जबकि नामा0 नियमों के तहत अपीलान्ट को नोटिस दिया जाना मेण्डेटरी है तथा तहत न्यायालय ने प्रार्थी को साक्ष्य सुनवायी का कोई समुचित अवसर नही दिया गया है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील मे वर्णित आराजी अपीलान्ट की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गयी उक्त आराजी से किसी दीगर व्यक्ति का कोई संबंध व वास्ता नही है। उक्त नामा0 माननीय न्यायालय उपजिा कलेक्टर के आदेश दिनांक 17.2.2016 की पालना मे खोला गया है। जिसकी अपील माननीय न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त महोदय के यहॉ विचाराधीन है तथा अति. सम्भागीय आयुक्त महोदय का पद रिक्त होने के तथा अपील दर्ज रजिस्टर कर स्वंय तहत न्यायालय तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अपील की सूचना एवं तामील हो चुकी है तहत न्यायालय को वाद इन्तजार आदेश न्यायालय अति0 सम्भागीय आयुक्त के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करना चाहिए था लेकिन उन्होने रेस्पो. संख्या एक से साझ कर नामा. में वर्णित आराजीयात को रेस्पो. की खातेदारी में दर्ज कर दी गयी। इस प्रकार तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्णत विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि नामा0 नियम 119 से 125 के तहत मौके की जॉच किया जाना आवश्यक है यदि हल्का पटवारी ने मौके कब्जे की जॉच कर ली होती तो उक्त खातेदारी परिवर्तित नही की होती इस प्रकार नामा0 नियमों का वोईलेशन होने से अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। यह कथन भी किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील राज्य सरकार के नोटीफिकेशन के पूर्णत विपरीत जाकर तस्दीक किया गया है क्योकि उक्त नामा0 2.3.2016 को हल्का पटवारी द्वारा भरा

डॉ० एस० पी० सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

गया है तथा दिनांक 3.3.16 को आईएलआर द्वारा तुलना की गयी तथा दिनांक 4.3.2016 को तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया है जबकि नामा0 तस्दीक करने हेतु 45 दिवस तक क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को होते है। किन्तु उक्त प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही दो दिवस में सम्पादित की गयी है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय क्षेत्राधिकार से बहार होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह कथन भी किया कि आदेश जैर अपील का जानकारी दिनांक 3.5.2016 को तहसील कार्यालय से जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर हुई। जानकारी प्राप्त होने पर नामा0 की नकल लेने हेतु नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 5.5.2016 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 का प्रा.पत्र के प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया है।

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1576 दिनांक 4.3.2016 माननीय न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 17.2.2016 की पालना मे भरकर दर्ज फैसल किया गया है चूंकि उपजिला कलेक्टर न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की सुनवायी की जाकर ही निर्णय पारित किया गया है जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा उक्त नामा0 तस्दीक किया गया है जिसमें तहसीलदार को किसी भी पक्षकार नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नही है। जहॉ तक 45 दिवस की अवधि का मामला है तो यह अवधि न्यायालय के आदेश से खोले जाने वाले नामा0 पर लागू नही होती है। यह तर्क भी दिया उपजिला कलेक्टर के आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अति. सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गयी थी जिसमे कोई स्थगन भी नही था तथा न्यायालय सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.7.2018 से अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर का निर्णय दिनांक 17.2.2016 यथावत रखा गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार की वैद्यानिक त्रृटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखे जाने बाबत वकील रेस्पो.द्वारा निवेदन किया गया है।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहॅूचता हूॅ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामा0 संख्या 1576 दिनांक 4.3.2016 न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.2.2016 की पलाना मे खोला गया है तथा माननीय न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 31.7.2018 से न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के उक्त आदेश दिनांक 17.2.2016 को विधिसम्मत मानते हुए यथावत रखा गया है। अतः तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल किये गये नामा0 संख्या 1576 दिनांक 4.3.2016 वाके ग्राम पांचोलास मे किसी प्रकार की वैधानिक त्रृटि प्रतीत नही होती है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.3.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 14:30:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: